

प्रेस विज्ञापित  
थाना कोतवाली

अबैध रूप से 2 रेस्टोरेन्ट मालिको द्वारा चलाये जा रहे हुक्का बार पर छापा, भारी मात्रा में हुक्का, पाइप, तम्बाकू फ्लेवर्ड बरामद व 6 व्यक्ति गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडेय व क्षेत्राधिकारी नगर राजेश कुमार तिवारी के कुशल पर्वेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के.के.गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर अलग-अलग टीम बनाकर थाना क्षेत्र में हो रहे अपराध व अपराधियों की घड़ पकड़ करने हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर सन्दिग्ध व्यक्ति / वाहनो की चेकिंग की जा रही थी कि सूचना प्राप्त हुआ कि बिलरिया की चुंगी स्थित कोको पिज्जा रेस्टोरेन्ट व आवास विकास चौराहे के पास डी0सी0 लाज एण्ड रेस्टोरेन्ट मालिको द्वारा रेस्टोरेन्ट के अन्दर कोविड-19 का उलंघन करते हुए अबैध रूप से हुक्का बार संचालित किया जा रहा है। जिसके क्रम में - दिनांक- 14.09.2020 को मुखबीर खास की सूचना बिलरिया की चुंगी स्थित कोको पिज्जा रेस्टोरेन्ट व आवास विकास चौराहे के पास डी0सी0 लाज एण्ड रेस्टोरेन्ट मालिको द्वारा रेस्टोरेन्ट के अन्दर कोविड-19 का उलंघन करते हुए अबैध रूप से हुक्का बार संचालित किया जा रहा है। कि प्राप्त सूचना के अनुसार प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के0के0 गुप्ता के निर्देशन में दो पुलिस टीमो का गठन किया गया। प्रथम टीम के चौकी प्रभारी पहाड़पुर उ0नि0 विनय कुमार दुबे द्वारा बिलरिया की चुंगी स्थित कोको पिज्जा रेस्टोरेन्ट तथा द्वितीय टीम के चौकी प्रभारी ब्रह्मस्थान उ0नि0 अनिल कुमार मिश्रा द्वारा आवास विकास चौराहे के पास डी0सी0 लाज एण्ड रेस्टोरेन्ट पर जाकर छापा मारा गया तो उपरोक्त दोनो रेस्टोरेन्टो के अन्दर काफी लोगो बिना मास्क के मौजूद है तथा हुक्का में तम्बाकू प्लेवर्ड रखकर पी रहे है वर्तमान में कोरोना महामारी व्याप्त है सभी लोगो द्वारा कोविड-19 का उलंघन किया जा रहा है। जिसके आधार पर क्रमशः मु0अ0सं0 244/2020 धारा 188,269,270 IPC व 3 माहामारी अधिनियम व 4/21/22 सिगरेट और तम्बाकू अधिनियम थाना कोतवाली आजमगढ़ बनाम 1. यासिर ओबैद पुत्र ओबैदुल्लाह पता हिरापट्टी टिचर कालोनी थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ 2. मो0 आबिद पुत्र मो0 अतहर सा0 हिरापट्टी टीचर्स कालोनी थाना कोतवाली आजमगढ़ 3. शहरयार शेख पुत्र स्व0 नौशाद अहमद सा0 टिचर्स कालोनी हिरापट्टी 4. फैसल खान पुत्र एजाज खान निवासी टिचर्स कालोनी हिरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ तथा मु0अ0सं0 245/2020 धारा 188,269,270 IPC व 3 माहामारी अधिनियम व 4/21/22 सिगरेट और तम्बाकू अधिनियम थाना कोतवाली आजमगढ़ बनाम 1.एश्वर्य प्रताप सिंह पुत्र ओम प्रताप सिंह सा0 केन्द्रीय विद्यालय रोड हिरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ 2. फराज खान पुत्र जावेद अली खान सा0 टेढिया मस्जिद थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा हा।

विवरण प्रथम टीम

पंजीकृत अभियोग का विवरण—

1. मु0अ0सं0 -244/2020 धारा 188,269,270 IPC व 3 माहामारी अधिनियम व 4/21/22 सिगरेट और तम्बाकू अधिनियम थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. यासिर ओबैद पुत्र ओबैदुल्लाह पता हिरापट्टी टिचर कालोनी थाना कोतवाली जिला आजमगढ़
2. मो0 आबिद पुत्र मो0 अतहर सा0 हिरापट्टी टीचर्स कालोनी थाना कोतवाली आजमगढ़
3. शहरयार शेख पुत्र स्व0 नौशाद अहमद सा0 टिचर्स कालोनी हिरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
4. फैसल खान पुत्र एजाज खान निवासी टिचर्स कालोनी हिरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

बरामदगी -

1. 1280 ग्राम तम्बाकू फ्लेवर्ड मिला हुआ चार अदद हुक्का तीन अदद चिलम पांच अदद पाईप व एक पैकेट में खुला हुआ 06 पीस कोयला

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण -

1. विनय कुमार दुबे मय हमराह चौ.प्र. पहाड़पुर थाना कोतवाली, आजमगढ़

**विवरण द्वितीय टीम**

**पंजीकृत अभियोग का विवरण—**

1. मु0अ0सं0 -245/2020 धारा 188,269,270 IPC व 3 माहामारी अधिनियम व 4/21/22 सिगरेट और तम्बाकू अधिनियम थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –**

1. एश्वर्य प्रताप सिंह पुत्र ओम प्रताप सिंह सा0 केन्द्रीय विद्यालय रोड हीरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. फराज खान पुत्र जावेद अली खान सा0 टेढिया मस्जिद थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

**बरामदगी –**

(1) 600 ग्राम तम्बाकू फ्लेवर्ड मिला हुआ व दो अदद हुक्का मय 2 अदद पाइप एक पैकेट में खुला हुआ 1 पीस कोयला

**गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –**

1. अनिल कुमार मिश्रा मय हमराह चौ.प्र. ब्रह्मस्थान थाना कोतवाली, आजमगढ़